झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय :— **''झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष'' का गठन करने एवं इस हेतु राशि रू० 6,67,80,000/— (रूपये छः करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार) मात्र का उपबंध वित्तीय वर्ष 2018—19 में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से करने तथा आगामी वित्तीय वर्षों में बजटीय उपबंध के द्वारा राशि की स्वीकृति।**

अक्टूबर 2015 से झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है। भारत सरकार के अर्द्ध सरकारी पत्रांक H-11018/1/2013-NFSA, दिनांक 26.07.2013 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का अधिकत्तम 86.48 प्रतिशत एवं शहरी जनसंख्या का अधिकत्तम 60.20 प्रतिशत आबादी को अनुदानित दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रकार जनसंख्या का कुछ भाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित नहीं है। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में राशन कार्ड होने के बावजूद लाभुक को राशन नहीं मिलने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

2. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि कुछ निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति/परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभान्वित नहीं हो पा रहे है। अतः राज्य सरकार द्वारा बजटीय उपबंध करके ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय स्तर पर तथा जिला में उपायुक्त स्तर पर ''झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष'' गठित किया जाता है जिसकी राशि से 'योग्य लाभुक' को आकस्मिक परिस्थिति में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

3. उपर्युक्त कंडिका—2 में उल्लेखित 'योग्य लाभुक' से तात्पर्य है:

''ऐसा निर्धन असहाय व्यक्ति जो स्वयं तथा जिसके साथ रहने वाला कोई भी पारिवारिक सदस्य जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हो।'' सामान्य तौर पर इसके अन्तर्गत लाभ ऐसे व्यक्ति को दिया जायेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित नहीं हो। परन्तु विशेष परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आच्छदित है, लेकिन किसी कारणवश उसे अनाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो तो उसे भी 'योग्य लाभुक' माना जायेगा।

4. राज्य में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 4,398 है। ''झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष'' से प्रत्येक ग्राम पंचायत को रूपये 10,000 (दस हजार) की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा इस हेतु उपायुक्त को आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा। उपायुक्त द्वारा यह अनुदान राशि सभी ग्राम पंचायत को स्थानांतरित कर दी जायेगी। इस राशि का नियमानुसार उपयोग संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

5. राज्य में कुल 49 नगर निकाय हैं। इनमें से पाँच नगर निकाय में वार्ड का गठन नहीं हुआ है। शेष 44 नगर निकाय में कुल वार्डों की संख्या 1,030 है। ''झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष'' से प्रत्येक नगर निकाय को प्रत्येक वार्ड के लिए रूपये 10,000 (दस हजार) की दर से अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी। जिन नगर निकायों में वार्ड का गठन नहीं हुआ है उन नगर निकायों को एक—एक लाख रूपये अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा इस हेतु उपायुक्त को आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा। उपायुक्त द्वारा यह अनुदान राशि सभी नगर निकाय को स्थानांतरित कर दी जायेगी। इस राशि का नियमानुसर उपयोग संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

28/6/18.

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रत्येक जिला में ''झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष'' से रूपये 5,00,000 (पाँच लाख) की अतिरिक्त राशि उपायुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी, जो कि उन्हीं के पास संधारित रहेगी। इसमें से उनके द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित ग्राम पंचायत या नगर निकाय को अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे क्षेत्र जो ग्राम पंचायत या नगर निकाय, दोनों के ही अन्तर्गत नहीं आते हों, उन क्षेत्रों में भी उपायुक्त द्वारा इस राशि में से व्यय किया जा सकेगा।

7. उपायुक्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुदान राशि संबंधित ग्राम पंचायत/नगर निकाय के बैंक खाते में संधारित रहेगी। ग्राम पंचायत/नगर निकाय द्वारा इस अनुदान राशि में से प्रति ''योग्य लाभुक'' को 10 किलोग्राम चावल, स्थानीय बाजार समिति की अधिसूचित दर या उससे कम दर पर खुले बाजार से क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

8 ग्राम पंचायत/नगर निकाय द्वारा उपयोग की जाने वाली राशि के लिए एक अलग बैंक खाता का संधारण किया जायेगा। इस हेतु राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक में उनके द्वारा खाता खोला जायेगा। राशि के अंकेक्षण का अधिकार स्थानीय निधि लेखा सम्परीक्षा तथा महालेखाकार को होगा। इस मद में प्राप्त राशि का अपवर्तन दूसरे मद में कदापि नहीं किया जायेगा। योजना की राशि के खाते का नियमित Reconciliation तथा प्रतिवर्ष ऑडिट कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. संबंधित 'योग्य लाभुक' का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड नहीं होने की स्थिति में ग्राम पंचायत/नगर निकाय की सूचना पर जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. इस प्रकार ''झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष'' के गठन पर कुल राशि (4398 पंचायत + 1030 शहरी वार्ड) × 10,000 रूपये + 5 शहरी निकाय × 1,00,000 रूपये + 24 जिला × 5,00,000 = रू० 6,67,80,000/– (रूपये छः करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार) मात्र का व्यय संभावित है (सूची संलग्न)।

11. वित्तीय वर्ष 2018–19 में आकस्मिकता निधि से इस हेतु रू० 6,67,80,000/– (रूपये छः करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार) मात्र की अनुदान राशि का उपबंध किया जायेगा। अगले वित्तीय वर्षों से सामान्य बजट में इसका उपबंध किया जाता रहेगा।

12 ''झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष'' का बजट मुख्यशीर्ष–3456–सिविल पूर्ति–796–जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना/102–सिविल पूर्ति योजना/789 अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना–57–झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (18S3456-796/102/789-570679) में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

13. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा ''झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष'' के संचालन एवं कार्यान्वयन हेतु विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त आवश्यकतानुसार नीतिगत दिशा निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

14. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख संख्या–2001, दिनांक 25.06.2018 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 26.06.2018 की बैठक के मद संख्या–14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनुलग्नकः– यथोक्त।

ह0/–
(अमिताभ कौशल),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 06/16–विविध (खाद्यान्न कोष)–05/2018–खा०आ० ..../रांची, दिनांक

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 06/16–विविध (खाद्यान्न कोष)–05/2018–खा०आ० ..../रांची, दिनांक

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इसे झारखण्ड राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 06/16–विविध (खाद्यान्न कोष)–05/2018–खा०आ० 2049/रांची, दिनांक 28/06/18

प्रतिलिपि–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड/सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) धनबाद/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची/ जमशेदपुर/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/18

सरकार के सचिव।

D:\Vikash Kumar-2018-19\Rathour Nitant G\Sanlekh & Sankalp\Sankalp\Jharkhand State Contigent Food Fund.Docx3

Estimated amount for "Jharkhand State Contingent Food Fund"

Sl. No.	Name of Districts	No. of Gram Panchayats	Amount for Gram Panchayat@ Rs. 10,000	No. of Wards in Urban Area	Amount for Urban Wards @ Rs. 10,000	No. of New Nagar Panchayat	Amount for New Nagar Panchayat @ Rs. 1 lakh	Amount for DC @ Rs. 5 lakh	Total Amount (4+6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bokaro	249	₹ 24,90,000	63	₹ 6,30,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 36,20,000
2	Chatra	154	₹ 15,40,000	22	₹ 2,20,000	1	₹ 1,00,000	₹ 5,00,000	₹ 23,60,000
3	Deoghar	194	₹ 19,40,000	59	₹ 5,90,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 30,30,000
4	Dhanbad	256	₹ 25,60,000	76	₹ 7,60,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 38,20,000
5	Dumka	206	₹ 20,60,000	33	₹ 3,30,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 28,90,000
6	E. Singhbhum	231	₹ 23,10,000	91	₹ 9,10,000	1	₹ 1,00,000	₹ 5,00,000	₹ 38,20,000
7	Garhwa	189	₹ 18,90,000	50	₹ 5,00,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 28,90,000
8	Giridih	358	₹ 35,80,000	36	₹ 3,60,000	2	₹ 2,00,000	₹ 5,00,000	₹ 46,40,000
9	Godda	201	₹ 20,10,000	21	₹ 2,10,000	1	₹ 1,00,000	₹ 5,00,000	₹ 28,20,000
10	Gumla	159	₹ 15,90,000	22	₹ 2,20,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 23,10,000
11	Hazaribagh	257	₹ 25,70,000	36	₹ 3,60,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 34,30,000
12	Jamatara	118	₹ 11,80,000	36	₹ 3,60,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 20,40,000
13	Khunti	86	₹ 8,60,000	19	₹ 1,90,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 15,50,000
14	Koderma	109	₹ 10,90,000	57	₹ 5,70,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 21,60,000
15	Latehar	115	₹ 11,50,000	15	₹ 1,50,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 18,00,000
16	Lohardaga	66	₹ 6,60,000	23	₹ 2,30,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 13,90,000
17	Pakur	128	₹ 12,80,000	20	₹ 2,00,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 19,80,000
18	Palamu	283	₹ 28,30,000	87	₹ 8,70,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 42,00,000
19	Ramgarh	125	₹ 12,50,000	32	₹ 3,20,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 20,70,000
20	Ranchi	305	₹ 30,50,000	66	₹ 6,60,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 42,10,000
21	Sahebganj	166	₹ 16,60,000	56	₹ 5,60,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 27,20,000
22	Saraikela	132	₹ 13,20,000	46	₹ 4,60,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 22,80,000
23	Simdega	94	₹ 9,40,000	20	₹ 2,00,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 16,40,000
24	W. Singhbhum	217	₹ 21,70,000	44	₹ 4,40,000	0	₹ 0	₹ 5,00,000	₹ 31,10,000
	Total	**4398**	**₹ 4,39,80,000**	**1030**	**₹ 1,03,00,000**	**5**	**₹ 5,00,000**	**₹ 1,20,00,000**	**₹ 6,67,80,000**